राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः एफ.4 (393) प्रा.शि. /मु.मं.बाल गोपाल योजना/2022 / 697 दिनांक 12/10/22

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय– प्रारम्भिक शिक्षा
समस्त।

विषयः–मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इसी क्रम में निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये:–

1. जिले में संचालित सम्बन्धित विद्यालयों के प्रभारियों को मिल्क पाउडर का भंडारण खाद्यान्न (गेहूं/चावल) व अन्य खाद्य सामग्री के साथ ना कर पृथक स्थान पर किये जाये।
2. मिल्क पाउडर के सीफसी Boxes को फर्श पर न रखकर लकड़ी/प्लास्टिक के प्लेट्स (पट्टी /प्लेटफार्म) पर सतह से उपर रखे जाये।
3. मिल्क यूनियन द्वारा मिल्क पाउडर की आपूर्ति के समय पैकेट्स की गणना उपरान्त ही संस्थाप्रधान द्वारा पावती रसीद दी जाये। कटे–फटे, क्षतिग्रस्त पैकेट्स अथवा मात्रा में कम होने की स्थिति में आपूर्ति प्राप्त नहीं जाये।
4. योजना के शुभारम्भ से पूर्व विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध नहीं कराया जाये।
5. योजनान्तर्गत विद्यालयों में आवश्यक बर्तन, चीनी, ईंधन ईत्यादी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
6. RCDF के दुग्ध संघों के कार्मिकों को भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाये।
7. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पाउडर मिल्क को सुरक्षित स्थान पर रखा जाये ताकि चोरी, चूहों एवं कीड़े–मकोड़ों से बचाव सम्भव हो सके।

अतःनिर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांकः एफ.4 (393) प्रा.शि. /मु.मं.बाल गोपाल योजना/2022 /697 दिनांक 12.10.22

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त जिला कलेक्टर।
2. महाप्रबन्धक (विपणन), राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड,RCDF, जयपुर विद्यालयों में निर्धारित मात्रा एवं मानकों के अनुरूप मिल्क पाउडर की आपूर्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाकर इस कार्यालय को अवगत करायें।

अतिरिक्त आयुक्त

पताः–प्रथम तल, नवजीवन सहकारी बाजार,, भवानी सिंह मार्ग, सी–स्कीम जयपुर।
फोन नं. 0141–2221960, ई–मेल mdm-rj@nic.in
Https://d.docs.live.net/fc7e94a99a6b32af/Documents/D.K.Mathur/CM Bal Gopal Yojna/Letter.docx

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड
RAJASTHAN CO-OPERATIVE DAIRY FEDERATION LIMITED

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांक : आरसीडीएफ/विपणन/एफ.6(1089)/2022–23/ 32847-90 दिनांक : 19.09.2022

आयुक्त,
मिड–डे–मील कार्यक्रम,
नवजीवन सहकारी बाजार (उपहार),
भवानी सिंह मार्ग, सी–स्कीम,
जयपुर।
E-mail: rajmdm@rediffmail.com / mdm-rj@nic.in

विषयः– मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत मिल्क पाउडर की डोर स्टेप डिलेवरी बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु श्रीमान् की अध्यक्षता में दिंनाक 16.09.22 को आयोजित बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) बूंदी ने अवगत कराया था कि मिल्क पाउडर आपूर्ति कार्य हेतु आरसीडीएफ के अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा मिल्क पाउडर की पीईईओ (पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) स्तर पर सम्पूर्ण पंचायत की कुल मात्रा की आपूर्ति की जा रही है जबकि आपूर्ति विद्यालयवार स्तर पर की जाना चाहिए। उपायुक्त मिडे डे मील ने भी आरसीडीएफ के उपस्थित प्रतिनिधि को अवगत कराया की समस्त जिलो में यही शिकायत प्राप्त हो रही है, यह भी अवगत कराया गया है कि आपूर्ति प्रारंभ होने से पूर्व परिवहनकर्ता द्वारा आपूर्ति के दिंनाक, समय से संबंधित कोई पूर्व सूचना प्राप्त नही होती।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) के माध्यम से समस्त प्राधानाचार्य को निम्न 02 बिन्दुओं हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावे किः–

1 विद्यालवार हेतु जारी विक्रय बिल में वर्णित मात्रा ही भौतिक रूप से प्राप्त कर बिलो की 05 प्रतियो पर पावती देवे, कम या ज्यादा मात्रा प्राप्त न करे।

2 विक्रय बिल पर अंकित बैच न. एवं सीएफसी बॉक्स पर अंकित बैच न. का मिलान अवश्य करे। बैच न. भिन्नता की स्थिति में सामग्री प्राप्त न करे, ताकि भविष्य में आपूर्ति किये गये मिल्क पाउडर की गुणवता जांच की आवश्यकता की स्थिति में विद्यालय पर आपूर्ति किये गये मिल्क पाउडर के बैच न. के आधार पर संबंधित दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रखे हुये, उसी बैच की पुनः गुणवता जांच करवाई जा सके।

सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,
19.9.22
(जे.डी. सिंह)
महाप्रबंधक (विपणन)

D.C.(IDM)
2/9/22

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. वित्तीय सलाहकार, आरसीडीएफ जयपुर
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
3. प्रबन्ध संचालक, अजमेर, अलवर,जयपुर, भीलवाडा, रानीवाडा एवं हनुमानगढ दुग्ध संघ M/S SVG द्वारा प्रस्तुत पावतियो की पूर्णतया जांच कर ही बिल संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करे।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. मैसर्स एस.वी.जी. एक्सप्रेस सर्विस प्राईवेट लि.जयपुर को निर्देशित किया जाना है कि उपरोक्त बिन्दुओं एवं निविदा, अनुबंध शर्तो की पालना करते हुए मिल्क पाउडर की विद्यालय हेतु प्रेषित मांग अनुरूप मात्रा की डोर स्टेप डिलेवरी (आपूर्ति के समय, दिंनाक की पुर्व सूचना के साथ) करना सुनिश्चित करे। निविदा, अनुबंध की शर्तो एवं आरसीडीएफ द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशो की अवहेलना की स्थिति में आपके विरूद्व निम्न अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

R. No. 233

महाप्रबंधक (विपणन)

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड
RAJASTHAN CO-OPERATIVE DAIRY FEDERATION LIMITED

Azadi Ka Amrit Mahotsav

No. RCDF/Mktg./F.6(1089)/2022-23/ 35281-323 Dated : 30.09.2022

M/s SVG Express Services Pvt. Ltd.,
C-114F, Road No.-8, Vishwakarma Industrial Area,
JAIPUR – 302013.
E-mail: dinesh@svgjpr.com / sanjiva.sinha@svgjpr.org

विषयः– "मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना" के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयो पर आपूर्ति किये जा रहे मिल्क पाउडर के सीएफसी Boxes में पैकेट्स पाये जाने की शिकायत बाबत।

संदर्भः– इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 32847–90 दिनांक 19.09.22

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयो से प्राप्त मिल्क पाउडर की मांग अनुरूप मिल्क पाउडर का दुग्ध संघ से उठाव कर, परिवहन, विद्यालयो तक सुरक्षित रूप से आपूर्ति कार्य करने आपकी फर्म अनुबंधित है। दिनांक 29.09.22 को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) झालावाड द्वारा बाकनी, झालावाड ब्लॉक के विद्यालय के वीडियो व्हाट्सप पर भेजे गये जिसमे एसएमपी के सीएफसी Boxes में 5 पैकेट की बजाय 3–4 पैकेट मिले है। इस प्रकार की शिकायते समाचार–पत्रो में प्रकाशित होने की संभावना है जिससे आरसीडीएफ एवं अधिनस्थ दुग्ध संघो की छवि पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है।

पूर्व में भी आपको निर्देशित किया गया था कि दुग्ध संघो से मिल्क पाउडर को वाहन में लोडिंग के समय आप अपना स्थायी रूप से प्रतिनिधि नियुक्त करे जो प्रत्येक सीएफसी बॉक्स की काटे पर वजन कर ही उसे वाहन में लोड होने दे। वजन 5 किलो से कम होने की दशा में सीएफसी बॉक्स को वाहन में लोड न कराये। आप द्वारा उपरोक्त निर्देशो की पालना नही की जा रही है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि मिल्क पाउडर की लोडिंग के समय अपने प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक सीएफसी बॉक्स का वजन करने के उपरांत ही बॉक्स को वाहन में रखे अन्यथा दुग्ध संघ के परिसर से वाहन के बाहर जाने के पश्चात् वजन की कमी होने पर संबंधित दुग्ध संघ की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

30.9.22
(जे.डी. सिंह)
महाप्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. आयुक्त एमडीएम से पुनः निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा श्रीमान से निवेदन किया गया था कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) के माध्यम से समस्त प्राधानाचार्य को निम्न 02 बिन्दुओं हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावे किः–
   - विद्यालवार हेतु जारी विक्रय बिल में वर्णित मात्रा ही भौतिक रूप से प्राप्त कर बिलो की 05 प्रतियो पर पावती देवे, कम या ज्यादा मात्रा प्राप्त न करे।
   - विक्रय बिल पर अंकित बैच न. एवं सीएफसी बॉक्स पर अंकित बैच न. का मिलान अवश्य करे। बैच न. भिन्नता की स्थिति में सामग्री प्राप्त न करे, ताकि भविष्य में आपूर्ति किये गये मिल्क पाउडर की गुणवता जांच की आवश्यकता की स्थिति में विद्यालय पर आपूर्ति किये गये मिल्क पाउडर के बैच न. के आधार पर संबंधित दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रखे हुये उसी बैच की पुनः गुणवता जांच करवाई जा सके। सीएफसी बॉक्स की सील में Tempering/Repackaging की दशा में सामग्री प्राप्त न करे।
2. वित्तीय सलाहकार, आरसीडीएफ जयपुर।
3. प्रबन्ध संचालक, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.,अजमेर, अलवर, भीलवाडा, हनुमानगढ, जयपुर एवं रानीवाडा।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा)
5. निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक आरसीडीएफ जययुर।

महाप्रबंधक (विपणन)

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड
RAJASTHAN CO-OPERATIVE DAIRY FEDERATION LIMITED

Azadi Ka Amrit Mahotsav

No. RCDF/Mktg./F.6(1089)/2022-23/35668-719. Dated : 04.10.2022

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

प्रबन्ध संचालक,
जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.
अलवर / अजमेर / बीकानेर / भीलवाडा / भरतपुर / बारां
बांसवाडा / चूरू–सरदारशहर / हनुमानगढ़ / जयपुर / जैसलमेर
जोधपुर / कोटा / पाली / चित्तोडगढ / सीकर / टोंक / राजसमन्द
रानीवाडा / उदयपुर / झालावाड / बाडमेर / नागौर / सवाईमाधोपुर

विषयः– "मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना" के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों पर आपूर्ति किये जा रहे मिल्क पाउडर के आपूर्ति कार्य, भंडारण का प्रभावी पर्यवेक्षण ब बत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा वर्ष (2022–23) में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयो में मिल्क पाउडर आपूर्ति का कार्य आरसीडीएफ को सौपा गया था। मिल्क पाउडर का दुग्ध संघ से उठाव, परिवहन, विद्यालयो पर मांग के अनुरूप सुरक्षित अवस्था में आपूर्ति कार्य हेतु आंमत्रित ई–निविदा के द्वारा मैसर्स एस.वी.जी. एक्सप्रेस सर्विस प्राईवेट लि.जयपुर को अनुबंधित किया गया है। फर्म द्वारा गत 01 माह से एसएमपी का उठाव कर विद्यालयों में आपूर्ति कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार की बजट घोषणा से संबंधित इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन का जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रभावी पर्यवेक्षण नितात आवश्यक है।

अतः मैसर्स एस.वी.जी. एक्सप्रेस सर्विस प्राईवेट लि.जयपुर के द्वारा एसएमपी भंडारण हेतु लिये गये विभिन्न वेयरहाउस का भौतिक सत्यापन एवं विद्यालयो पर आपूर्ति किये गये मिल्क पाउडर का कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) के अधिकारी / कार्मिक के साथ संयुक्त निरीक्षण कराये जाने हेतु आपके दुग्ध संघ के अधिकारी / कार्मिक का नाम आज ही प्रस्तावित कर सूचित करे।

(अ) परिवहनकर्ता के ब्लॉक स्तरीय गोदामो के निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जावेः–

1 एसएमपी के सीएफसी बॉक्स को wooden/ Plastic (पट्टा / पट्टी) पर रखा गया है अथवा नही।
2 सीएफसी बॉक्स की सील खोली / पुनः लगाई / काटी तो नही गई है।
3 परिवहनकर्ता द्वारा आपूर्ति कार्य हेतु प्रयुक्त वाहन तिरपाल से ढके होने चाहिये।
4 वाहनो में सीएफसी बॉक्स लोडिंग के समय यह देखना कि सीएफसी बॉक्स व बिलो पर अंकित बैच न. एक समान है या अथवा नही।
1 सीएफसी बॉक्स को दीवार से कुछ दुरी पर भंडारित किया गया है अथवा नही।

(ब) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) के अधिकारी / कार्मिक के साथ राजकीय विद्यालयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जायेः–

1 आपूर्ति किये गये सीएफसी बॉक्स पर मुद्रित बैच न. एवं सुपुर्द किये गये विक्रय बिल पर अंकित बैच न. समान है अथवा नही।
2 बिल में वर्णित मात्रा के अनुरूप ही सामग्री की आपूर्ति की गई है । बिल में वर्णित मात्रा से कम या ज्यादा मात्रा की आपूर्ति की स्थिति में विवरण निरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित करे।
3 सीएफसी बॉक्स फर्श पर नही रख कर, सतह से ऊपर सुरक्षित रखे जाने चाहिये।
4 सीएफसी बॉक्स का भंडारण खाद्यान्न (गेहु / चावल) के साथ नही होना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटो एवं निरीक्षण रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करे। गोदाम व विद्यालय से संबंधित अन्य जानकारी हेतु श्री पंकज भूतडा (महाप्रबन्धक, (विपणन) परीविक्षाधीन) मों. 998217775 से सम्पर्क करे।

संलग्नः– 1 अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई वेयरहाउस की सूची।
2 ब्लॉक जिनकी शत प्रतिशत आपूर्ति परिवहनकर्ता द्वारा कर दी गई है।

5.10.22
(जे.डी. सिंह)
महाप्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. आयुक्त, मिड–डे–मील कार्यक्रम,नवजीवन सहकारी बाजार (उपहार), भवानी सिंह मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर। E-mail: **rajmdm@rediffmail.com** / **mdm-rj@nic.in** से निवेदन है कि विद्यालयो में मिल्क पाउडर के समुचित भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु दुग्ध संघो के कार्मिको को निरीक्षण कार्य में सहयोग हेतु समस्त जिला शिक्षाा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) को निर्देशित कराने का श्रम करावे। ताकि वितरण/आपूर्ति कार्य में त्रुंटि का समय सुधार संभव हो सके।
2. वित्तीय सलाहकार, आरसीडीएफ जयपुर।
3. महाप्रबन्धक गुण नियंत्रण, आरसीडीएफ जययुर।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा)।
5. निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक आरसीडीएफ जययुर।

महाप्रबंधक (विपणन)